



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1942 (श10)
(सं0 पटना 455) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2020

सं० वि0(27) पे0को0-51/2020-435
वित्त विभाग

संकल्प

27 जुलाई 2020

विषय:- COVID-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में कर्तव्य के क्रम में संक्रमण के फलस्वरूप मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा के संबंध में ।

COVID-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में अनेक सरकारी सेवकों द्वारा सक्रिय कर्तव्य निर्वहन किया जा रहा है एवं ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे हैं, जहां ऐसे सरकारी सेवक COVID-19 संक्रमण से ग्रसित हो जा रहे हैं एवं कुछ मामलों में उनकी मृत्यु हो जा रही है । सरकार के समक्ष यह विषय विचाराधीन था कि ऐसे सरकारी सेवकों के आश्रितों को संबंधित सरकारी सेवक की मृत्यु के उपरांत विशेष सुविधा उपलब्ध करायी जाय ।

2. राज्य सरकार द्वारा COVID-19 संक्रमण के संबंधित कर्तव्य में कार्यरत रहे वैसे सरकारी सेवक जिनकी मृत्यु इसी संक्रमण से हो जाती है, को निम्न सुविधा देने का विनिश्चय किया गया है-

- i. यदि संबंधित सरकारी सेवक के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं तो आश्रितों को अनुकंपा का लाभ एवं पूर्व से विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत अन्य लाभ देय होंगे ।
- ii. यदि संबंधित सरकारी सेवक के आश्रित यह वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि उन्हें अनुकंपा का लाभ नहीं दिया जाय तो उस परिस्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के आश्रित को संबंधित सरकारी सेवक की वैचारिक वार्षिक्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक सरकारी सेवक को प्राप्त अंतिम शुद्ध भुगतये वेतन विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगा ।

- iii. उपरोक्त कंडिका-ii से आच्छादित वेसे मामले जहां मृतक सरकारी सेवक सरकारी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, के मामले में सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरांत उन्हें विद्यमान नियमों के अनुरूप पारिवारिक पेंशन देय होगा ।
- iv. नयी पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी सेवकों के मामले में उनकी वैचारिक वार्षिक्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक ही उपरोक्त विशेष पारिवारिक पेंशन देय होगा ।
- v. संबंधित विभागीय सचिव उपरोक्त में विहित शर्तों की पूर्ति के संबंध में संतुष्ट होकर उपरांतिक लाभ की स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुग्रह अनुदान समिति के विचारार्थ प्रस्ताव संलेख-स्वरूप वित्त विभाग को भेजेंगे । समिति के निर्णयोपरांत संबंधित विभागीय सचिव द्वारा तत्संबंधी आदेश निर्गत किए जाएंगे ।
- vi. उपरोक्त प्रावधान दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक के मामलों के लिए लागू होंगे ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव, (व्यय) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 455-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>